असमानताओं का मायाजाल

यों तो सम्पूर्ण विष्व ही असमानताओं से त्रस्त है किन्तु हमारा भारत असमानताओं के मामले में कुछ ज्यादा ही संवेदनषील रहा है। भारत में मुख्य रूप से चार प्रकार की असमानताएॅ पाई जाती है। (1) अधिकारों की असमानता (2) आर्थिक असमानता (3) सामाजिक असमानता (4) प्रवृत्ति की असमानता। लगभग भारत के हर क्षेत्र हर वर्ग में इन चार प्रकार की असमानताओं का प्रभाव है।

यदि गंभीरता पूर्वक विचार करें तो अधिकारों की असमानता व्यापक रूप से दिखाई देती है। संचालक और संचालित अथवा यों कहें कि षासक और षासित नामक दो वर्ग स्पष्ट रूप से बने हुए हैं। जो लोग षासक जाति में षामिल हैं उनमें पंच सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, पटवारी से लेकर राष्ट्रपति तक तथा लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीष तक षामिल हैं जिन्हें कुछ राजनैतिक विषेष अधिकार प्राप्त है। ऐसे कुछ अधिकार देना व्यवस्था के लिये समाज की आवष्यकता भी होती है किन्तु समस्या तो तब पैदा होती है जब समाज से बिना पूछे ही ये तीनों इकाइयॉ आपस में मिल जुलकर समाज के अधिकार अपने पास इकट्ठा करना षुरू कर देती हैं। ये तीनों इकाइयां आपस में तो अधिकारों की छीना झपटी की लड़ाई लड़ती दिखती हैं किन्तु यदि समाज के अधिकार कम करने की बात आये तो तीनों ही कहीं न कहीं एक हो जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक भारत में लोक और तंत्र के बीच की दूरी लगातार बढ़ती गई है और आगे भी बढ़ रही है। अब तो स्थिति यहॉ तक खराब हो गई है कि भारत में तंत्र अपने ही बनाये कानूनों के उल्लंघन पर किसी व्यक्ति को फांसी देने तक के अधिकार समेट चुका है। तंत्र ने कानून बनाने के सारे अधिकार अपने पास ही रख लिये हैं और समाज के पास ऐसे कानूनों का पालन करने की मजबूरी से अलग कोई अधिकार नहीं। गुलाम और मालिक के बीच मात्र इतना ही अन्तर है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था पर हर पांच वर्ष में मुहर लगाने की औपचारिकता पूरी करना आवष्यक रखा गया है अन्यथा वास्तव में यह व्यवस्था लोकतंत्र के नाम पर अप्रत्यक्ष तानाषाही ही है। जब कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों से लैस संसद ही संविधान संषोधन तक के अन्तिम अधिकार अपनी तिजोरी में बन्द रखे तो ऐसी षासन व्यवस्था को आंषिक तानाषाही कहना कुछ भी गलत नहीं।

एक दूसरी असमानता भी भारत में तेजी से पैर पसार रही है और वह है आर्थिक असमानता। गरीब और अमीर के बीच अन्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है तो श्रम और बुद्धि तथा गांव और षहर के बीच भी दूरी बढ़ती ही जा रही है। भारत में स्वतंत्रता के बाद के साठ वर्षों में आज तक का आकलन करें तो मुद्रा स्फीति को घटाकर मूल रूपये के आधार पर श्रम का मूल्य सिर्फ पौने दो गुना, बुद्धि के मूल्य की औसत वृद्धि आठ गुनी तथा धन की औसत करीब चौसठ गुनी हो गई है। श्रमजीवी की विकास दर एक प्रतिषत वार्षिक, बुद्धिजीवी की सात प्रतिषत तथा धनवालों की चौदह प्रतिषत तक है। श्रमजीवी गरीब ग्रामीण चींटी की चाल से प्रगति कर रहा है तो बुद्धिजीवी षहरी साइकिल की गति से तथा बड़े बड़ें उद्योगपति हवाई जहाज की गति से। सरकार चींटी की गति को कुछ बढ़ाने का ढोंग मात्र करती रहती है किन्तु उसकी वास्तविक सक्रियता तो इसी क्रम को बढ़ाते जाना है। ग्रामीण आबादी का लगातार षहरों की ओर पलायन जारी है। षहर मजबूत से मजबूत हो रहे हैं तथा गांव कमजोर से कमजोर। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी साठ वर्ष बाद भी सरकारी सस्ते चावल के लिये घूमने के लिये मजबूर है तो पूंजीपति मेवा और फल भी कूड़ेदान में फेंकने में नहीं हिचकता। आर्थिक असमानता का लगातार बढ़ते जाना भी भारत वासियों की एक गंभीर समस्या है।

एक तीसरे प्रकार की असमानता सामाजिक असमानता के रूप में भी भारत में है। यह धार्मिक तथा जातीय स्वरूप में फैल रही है। कई सौ वर्ष पूर्व भारत में मुसलमान षासक के रूप में स्थापित थे तथा हिन्दू षासित। स्वतंत्रता के समय मुसलमानों ने अलग पाकिस्तान बना लिया। स्वाभाविक था कि वे स्वतंत्रता के बाद बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक हो गये क्योंकि वे तो पूर्व में ही बहुत कम थे और बंटवारे के बाद तो संख्या का घटना और भी निष्चित था। यद्यपि भारत का हिन्दू बहुमत मुसलमानों को समान अधिकार देने का पक्षधर रहा किन्तु मुसलमानों का बहुमत अपनी पुरानी षासक की भावना नहीं भूल पाया। उन्हें दुनिया की इस्लामिक ताकत का भी सहारा मिला। मुसलमानों की इस धार्मिक श्रेष्ठता की अकड़ ने भौतिक उन्नति में उन्हें बहुत पीछे ढकेल दिया। हिन्दू और मुसलमान के बीच यह टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हिन्दुओं का एक छोटा सा वर्ग भारत में अपना बहुमत मानकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता से बदला लेने को आतुर है तो भारतीय मुसलमानों का बहुमत पूरी दुनिया में हिन्दुओं की अपेक्षा अपनी कई गुना संख्या और षक्ति को आधार बनाकर कुछ सौ वर्ष पूर्व के हवाई सपने देखने में व्यस्त है। धार्मिक असमानता के साथ साथ जातीय तथा लिंग भेद भी व्यापक रूप से विद्यमान है। स्वतंत्रता के पूर्व जातीय भेदभाव चरम पर था। स्वतंत्रता के बाद उक्त भेदभाव में कमी आई। लिंग भेद में भी कमी आई है यद्यपि अब भी साठ वर्ष बाद भी न जातीय भेद समाप्त हुआ न लिंग भेद। पहले आम तौर पर सवर्ण और पुरूष जाति अवर्ण और महिलाओं के साथ षासक और षासित जैसा व्यवहार करते थे। अब एक नई स्थिति पनप रही है जिसके अनुसार दस प्रतिषत अवर्ण तथा दस प्रतिषत महिलाओं ने धूर्त सवर्णों राजनेताओं पुरूषों के साथ समझौता करके लूट के माल में हिस्सेदारी तय कर ली है। जातीय लैंगिक असमानता का कम होना इस समझौता समूह के लिये घातक सिद्ध हो रहा है। परिणाम स्वरूप यह जातीय लैंगिक समूह इस भेद भाव को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने में सक्रिय है।

एक चौथी असमानता का भी लगातार विस्तार हो रहा है और वह है प्रवृत्ति की असमानता। षराफत लगातार कमजोर हो रही है तथा धूर्तता अथवा अपराध वृत्ति लगातार मजबूत। स्वतंत्रता के बाद लगातार चालाक धूर्त अपराधियों की सभी क्षेत्रों में सफलता का ग्राफ उॅचा हो रहा है तथा षरीफों का लगातार गिर रहा है। राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में तो यह असमानता लगभग पूर्णता की ओर है ही किन्तु अब तो धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी धूर्तता अपनी सफलता के नये नये झण्डे गाड़ रही है। हर क्षेत्र में षराफत का मनोबल गिरता जा रहा है। षरीफ को मूर्ख और धूर्त को कुषलता के नाम से माना जाने लगा है। गांधीवादी बुजुर्ग भी अपनी संतानों को नई लाइन पर चलने की सलाह देने को मजबूर हैं।

इस तरह स्वतंत्रता के बाद इन चारों प्रकार की असमानताओं से समाज ग्रस्त भी है और त्रस्त भी। वैसे तो चारों असमानताएॅ घातक हैं किन्तु यदि घातक परिणामों के क्रम से लिखा जाय तो प्रवृत्ति की असमानता का परिणाम सबसे उपर, अधिकारों की असमानता के परिणाम दूसरे क्रम में, आर्थिक असमानता के तीसरे क्रम में तथा सामाजिक असमानता का प्रभाव चौथे क्रम का माना जा सकता है। परिणाम के आधार पर तो षरीफ और धूर्त के बीच बढ़ती जा रही दूरी ज्यादा खतरनाक है किन्तु गंभीरता पूर्वक विचार करें तो तीनों प्रकार की असमानताओं को विस्तार देने में अधिकारों की असमानता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनैतिक वर्ग ने एक जाति का रूप लेकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना लिया है। धूर्तता, धन और जातीय धार्मिक लैंगिक भेदभाव इनके पूरक के रूप में काम करते दिख रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व तो यह एक गुट मात्र दिखता था किन्तु अब तो वह एक गिरोह का रूप ले चुका है। पहले तो ये समाज को मात्र धोखा ही देते रहते थे किन्तु अब तो यह समूह बड़ी बेषर्मी से स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर करते जा रहा है। अब उसे किसी की परवाह नहीं क्योंकि नीति बनाने वाली भी उनकी संसद ही है और कार्यान्वित कराने वाली भी उनकी संसद ही है। यदि कहीं कोई सामाजिक न्यायिक या कानूनी बाधा आये तो संविधान संषोधन तक के अधिकार उसी संसद के पास है। षासक पक्ष ने सम्पूर्ण समाज को षासित करके सभी समस्याओं के समाधान के लिये स्वयं को एक पक्षीय भाग्य विधाता घोषित कर दिया है। अर्थनीति बनाने का काम उनके जिम्मे है और समाजनीति भी वही बना सकते हैं। यदि आवष्यक हुआ तो षराफत की परिभाषा बनाने का ठेका भी उसी जात के पास सुरक्षित है।

स्वाभाविक है कि षासक और षासित के बीच की दूरी घटना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। यह दूरी यदि घटकर समाज सषक्त होगा तभी अन्य असमानताएॅ भी घटनी षुरू होंगी क्योंकि सभी असमानताओं को खाद पानी तो इसी से मिलता रहता है। गांधी के बाद जयप्रकाष ने इस दिषा में पहल की तथा उनके बाद या तो लोक स्वराज्य मंच इस दिषा में सक्रिय हैं अथवा अन्ना हजारे की टीम। अभी तो अन्य कोई भी टीम इस लाइन पर स्पष्ट नहीं है। कुछ व्यक्ति हैं लेकिन इन बेचारों की आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज से अधिक कुछ नहीं। दूसरी ओर इस प्रयत्न को कमजोर करने वाले अलग अलग रूपों में लगातार सक्रिय हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टीम अन्ना के ही मित्र बनकर उन्हें दिषा भ्रमित करने में सक्रिय हैं। मैं पिछले दिनों टीम अन्ना के लोगों के बीच चार दिनों तक चर्चा सुनता रहा। कई सदस्य ऐसे थे जो आर्थिक असमानता को सर्वाधिक

घातक सिद्ध कर रहे थे तो कुछ सामाजिक असमानता को। महिलाएँ कम थीं लेकिन जब भी कोई महिला नेता बोलती थी तो सिर्फ महिला सषक्तिकरण की भाषा ही बोलती थी। कुछ लोग जातीय धार्मिक आर्थिक विषमता की ही घूम फिर कर चर्चा करते रहे। अन्त में तो स्थिति यहॉ तक आई कि स्वराज्य संघर्ष के विरूद्ध षेष सब एकजुट हो गये थे। ये सब लोग तर्क देने में यहॉ तक नीचे उतर आये कि इन्होंने ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने के विरूद्ध भी यह कहना षुरू कर दिया कि इससे तो गांव के सवर्ण पूंजीपति पुरूष दबंगों का ग्राम सभा में एकाधिकार हो जायगा। मैं इन आर्थिक सामाजिक असमानता के मुखर विरोधियों में से कइयों के विषय में जानता था कि उन्हें ऐसा करने के लिये विदेषों से भी धन प्राप्त होता रहता है।

मैं प्रारम्भ से ही एक विचार कर रहा हूँ कि आर्थिक असमानता तथा सामाजिक असमानता का ज्यादा जोर षोर से विरोध करने वाले लोग ऐसे विरोध को सत्ता प्राप्ति का हथियार समझ कर उसे सर्वोच्च महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि लिंग भेद, गरीब अमीर भेद, हरिजन आदिवासी जाति भेद जैसे मुद्दे ही उन्हें राजनीति में आगे ला सकते हैं। प्रवृत्ति भेद तो कभी राजनैतिक मुद्दा बन ही नहीं सकता तथा यदि समाज सषक्तिकरण का विचार मजबूत भी हुआ तो वह उन्हें राजनैतिक रूप से मजबूत नहीं कर पायेगा। मेरे अपने भी कई साथी इस बीमारी के मरीज हैं। वे भी आर्थिक सामाजिक असमानता के विरूद्ध बहुत सक्रिय रहते हैं क्योंकि उन्हें विष्वास है कि यह ही मुद्दे उन्हें वोट दिलाने में कारगर भूमिका अदा कर सकते हैं।

आवष्यकता इस बात की है कि ऐसे तत्वों से स्पष्ट दूरी बने जो अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये आर्थिक सामाजिक असमानता को जोर षोर से उठाते रहते हैं। सच्चाई यहॉ तक है कि ऐसे व्यक्ति या संगठन ऐसे मुद्दे उठा उठा कर कहीं न कहीं अपराधियों की ढाल भी बन जाया करते हैं क्योंकि ऐसे जातीय धार्मिक आर्थिक रूप से बने संगठनों में धूर्तों, अपराधियों, षोषण कर्ताओं तथा गुलाम बनाकर रखने की इच्छा वालों को भी सुरक्षा मिलती रहती है। ऐसे तत्वों की स्पष्ट पहचान करनी चाहिये। पहचान कठिन नहीं है। आर्थिक सामाजिक असमानता के तिल का ताड़ बनाने तक में तो ये लोग माहिर होते हैं किन्तु समाधान इनके पास होता नहीं। टीम अन्ना की बैठक में जब इन एक जुट प्रष्न कर्ताओं से कहा गया कि अब आप लोग उत्तर दीजिये और हम प्रष्न करेंगे तो ऐसे तत्व यह कहकर नाराज हो गये कि यदि उनके पास समाधान ही होता तो ये यहॉ क्यों आते? इस तरह स्पष्ट हुआ कि कुछ लोग राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को कम महत्व देते हुए आर्थिक सामाजिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका राजनैतिक स्वार्थ स्पष्ट है और ऐसे तत्व दूर दूर तक टीम अन्ना या ऐसी ही किसी टीम के साथ नहीं चल पायेंगे। राजेन्द्र सिंह जी, अग्निवेष जी राजगोपाल जी आदि ने तो अपना परिचय दे ही दिया है। रामदेव जी आदि का भी परिचय जल्दी ही पता चल जायगा। आषा है कि टीम अन्ना लोक और तंत्र के बीच बढ़ती दूरी को ही आधार बनाकर आगे बढ़ने के एकमात्र मार्ग पर ही चलती जायेगी तथा ऐसे सत्ता ध्रुवीकरण कराने में लोभी लोगों से सतर्क रहेगी अन्यथा जल्दबाजी में कहीं फिर से यह आंदोलन जे.पी. आंदोलन न बन जाये जो व्यवस्था परिवर्तन से फिसलते फिसलते इन्दिरा हटाओ तक चला गया था। वैसे मुझे इस टीम की आंतरिक चर्चाओं में बैठने से संतोष हुआ कि अब तक ये लोग स्पष्ट दिषा में ही सम्हल सम्हल कर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री श्री रविषंकर जी महाराज की षिक्षा संबंधी टिप्पणी पर मेरा समर्थन

सत्रह मार्च दो हजार बारह को ए टू जेड चैनल पर शाम आठ बजे षिक्षा और चरित्र विषय पर चर्चा करते हुए मैने टिप्पणी की थी कि षिक्षा क्षमता का विस्तार करती है, चरित्र का नहीं। स्वतंत्रता के बाद के साठ वर्षो मे चरित्र घटता रहा और षिक्षा बढती रही। परिणाम स्वरूप चरित्र हीनता लगातार मजबूत होती गई तथा षिक्षा ने ऐसी चरित्र हीनता को तेज गति दी । ऐसे चरित्रहीन लोगो ने निरंतर प्रयास किया कि सरकारों का बजट षिक्षा, स्वास्थ, भौतिक सुविधाओं की दिषा मे बढे तथा पुलिस, न्यायालय आदि पर या तो घटे या उतना ही रहे । मैने स्पष्ट कहा था कि सरकारों को षिक्षा का निजीकरण करके अपना बजट न्याय और सुरक्षा की दिषा मे बढाना चाहिये। मै नक्सलवादी क्षेत्र का रहने वाला हूँ तथा मुझे नक्सलवाद का भी पूरा अनुभव है। मैने उस दिन की चर्चा मे नक्सलवाद का भी जिक्र किया था।

रविषंकर जी ने अपने कथन मे नक्सलवाद का समावेष किस तरह किया तथा किस तरह षिक्षा प्रेमियों ने उसका उपयोग किया यह मेरा विषय नही। मै तो मात्र यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि षिक्षा से अपराधीकरण विस्तार , षिक्षा के सम्पूर्ण निजीकरण आदि मुद्दो पर मै अब भी कायम हूँ । इस विषय पर रविषंकर जी पीछे हटे तो वे जाने किन्तु मै तो इस विषय पर संवाद से पीछे नही हट रहा क्योकि मैने जो कहा है वह मेरी द्वष्टि से बिल्कुल ठीक है।

इस संबंध मे मुझे विस्फोट डाट काम से षिषिर सिंह की एक टिप्पणी मिली है कि ''श्री श्री रविषंकर का बयान बेहद आपत्ति जनक है। देष के षिक्षा तंत्र मे बेहतरी के लिये बहस की गुंजाइष भी नही बची है। एक ऐसा देष जहॉ षिक्षा पर नाममात्र का खर्चा किया जाता हो, एक ऐसा देष जहॉ षिक्षा बच्चो को कम और इनके धंधेवाजो को ज्यादा फायदा पहुँचा रही हो, एक ऐसा देष जहॉ कालेजो मे तैयार किये जा रहे स्किल्ड लेबर्स मे अधिकतर काम लायक नही हो, उस देष मे षिक्षा तंत्र मे उम्मीद करना ही बेकार है। जो षिक्षा तंत्र एक बेहतर डाक्टर, इंजीनियर नही बना सकता, वह नक्सली क्या बनाएगा? फिर भी श्री श्री का बयान आपत्ति जनक तो है ही । सरकारी स्कूलो की बुराई की आड मे वे जिन निजी षिक्षण संस्थानों की तरफदारी कर रहे है उनकी हालत और खराब है । ऐसे ही षिक्षा तंत्र मे पढे श्री श्री रविषंकर की यह सामंतवादी और कुलीन सोच हो सकती है कि निजी षिक्षण संस्थान आदर्षो को बोने वाली नर्सरी है लेकिन इस सोच को दुरूस्त करना जरूरी है। सच्चाई यह है कि सरकारी स्कूल भले ही नक्सली बनाते हो पर वे हत्यारे तैयार नही करते और हत्यारे बनने से बेहतर है क नक्सली बन जाया जाय। स्कूल और अपराध के मामलों पर गौर करें तो पायेंगे कि गंभीर आपराधिक मामलों मे निजी स्कूल ही टॉप पर रहे है। कुछ समय पहले चेन्नई के जिस सेंट मैरीज एंग्लो–इंडियन स्कूल मे छात्र द्वारा षिक्षक को जान से मार देने की जो घटना सामने आई थी , वो विद्यालय प्राइवेट था। केवल यही एक घटना नही है जिसने निजी विधालयो के दामन पर दाग लगाए हों। देष का प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल डीपी एस गाहे–बगाहे गलत कारणो से मीडिया की सुर्खियॉ बनता रहा है। चाहे वो चर्चित आरूषि मामले मे निकली कहानियॉ हो या लेबोरेटरी मे छात्रा का अष्लील एमएमएस बनाने की घटना । जिस षिक्षा पर गुरू रविषंकर बडा गर्व कर रहे है उसका भी हाल कोई बहुत अच्छा नही है। विप्रो ई आई द्वारा देष के महानगरो दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बंगलौर, मुंबई के 89 टॉप स्कूलों मे किये गये सर्वे मे ये बात निकल कर सामने आई है कि बडे स्कूल भी बच्चो को समझाने की बजाये रटाने की प्रवृत्ति पर ज्यादा जोर देती है। हाल यह है इन स्कूलो के कक्षा चार के दो तिहाई बच्चो को यह नही मालूम कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी , राजीवगांधी और सोनियॉ गांधी मे से कौन जिन्दा है। सामाजिक मुद्दो पर भी बच्चो मे संवेदनाषीलता का अभाव पाया गया। रिजल्ट देने के मामले मे भी सरकारी स्कूल निजी स्कूलो से आगे रहे है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेषन (सी बी एस ई) के 10वी और 12वी के रिजल्टों पर गौर करने पर साफ नजर आता है कि केंद्रीय विद्यालय , जवाहर नवोदय विद्यालय और सरकारी स्कूलों का रिजल्ट निजी स्कूलो से बेहतर रहता है। बेषक सरकारी षिक्षा का हाल सरकारी ढ़र्रे जैसा सुस्त और लापरवाह है पर वो अफोर्डबिल है, इसलिये देष का एक बडा हिस्सा अभी भी सरकारी संस्थानों मे ही पढ रहा है । सरकारी विद्यालयों का ध्येय लाभ कमाना नही अपितु षिक्षा देना ही रहा है। लेकिन निजी षिक्षण संस्थान के लिये षिक्षा केवल एक दुधारू गाय है। अपनी इस प्रवृत्ति के चलते आर टी ई के तहत अपने विद्यालय मे गरीब तबको के बच्चो को एडमिषन देने मे निजी स्कूलो की नाक भौ सिकुडती है। यह हाल तब है जब सरकार निजी स्कूलो को संसाधन उपलब्ध कराने मे सहायता प्रदान करती है। गौरतलब है कि सरकार स्कूलो के लिये भूमि कम दाम पर उपलब्ध कराती है।

दरअसल कमी विद्यालयो मे नही तंत्र मे ही आ गई है ,कोई षिक्षा को षिक्षा तर्ज पर नही लेना चाहता है, सब इसे षिक्षा के बजाय निवेष की नजर से देखते है अर्थात जितनी महंगी षिक्षा उतना अच्छा वेतन। षिक्षा की सरकारी कहानी के अनुसार आदर्ष सरकारी रिकार्डो के आंकडो के मुताबिक जीडीपी का लगभग छह प्रतिषत भाग षिक्षा पर व्यय किया जाता है। रूपयों मे यह कोई 2.20लाख करोड के आस पास बैठती है। 121 करोड की आबादी का लगभग 74 प्रतिषत भाग साक्षर है। नाम पढ पाने लिख पाने और हस्ताक्षर कर पाने को साक्षर मानने वाली सरकारी परिभाषा के

अनुसार इन 74 प्रतिषत साक्षरो मे 50 प्रतिषत ही उच्च षिक्षा के अपने सपनो को साकार कर पाते है। गुणवत्ता की कसौटी पर कसने पर उच्च षिक्षा का हाल यह है कि कुल विष्व विधालय मे दो तिहाई और कालेजों मे नब्बे प्रतिषत गुणवत्ता मे औसत से भी नीचे है। निजी विद्यालयो मे अपने बच्चो को पढाने वाले लोगो के पास संसाधन का अभाव नही है इसलिये औसत आइक्यू और क्षमता होते हुए भी इन स्कूलो मे पढने वाले बच्चे उचें पदों पर पहुॅच जाते है, इसके उलट संसाधन के अभाव मे पढने वाले बच्चे अगर मजबूत इच्छाषक्ति वाले हुए तो ही वो कमाल कर पाते है, वरना वो ऐसे रास्ते चुन लेते है जो उनकी जरूरतो को पूरा कर सके। जरूरत विधालयो या षिक्षा के निजीकरण की नही, बल्कि बच्चो को स्वस्थ एवं बराबरी का माहौल उपलब्ध कराने की है। वरना बेहतर है कि नक्सली बन लिया जाय कम से कम लडाई तो सामाजिक होगी।''

षिषिर कुमार जी का लम्बा लेख मैने पढा । श्री श्री रविषंकर के बयान के विरूद्ध कई लोगो ने उनके पुतले भी जलाये क्योकि जिनके पास तर्क नही होते वे इससे ज्यादा कर ही क्या सकते है। मेरे या रविषंकर जी के बयान से सरकारी षिक्षा पर ही पेट पालने वालो मे हडकंप स्वाभाविक है। रविषंकर जी का बयान स्पष्ट नही है । मेरा मत यह है कि षिक्षा एक शस्त्र है जो बुरे आदमी के पास जायगी तो अपराधी बनायेगी और अच्छे आदमी को सुरक्षा प्रहरी। पहले शस्त्र इकठ्ठा करे या पहले अच्छे बुरे का अनुपात ठीक करें यह निर्णय समाज को करना है । स्वतंत्रता के बाद षिक्षा रूपी शस्त्र बढा और अच्छे बुरे का आकलन करने वाली इकाई (पुलिस और न्यायालय) घटे जिसका परिणाम हुआ कि संपूर्ण समाज मे तो अपराधी तत्व बढे ही, पुलिस और न्यायालय के विरूद्ध ही वातावरण बनाने मे लग गये और षिक्षा उन्हे अपनी क्षमता विस्तार मे सहायक दिखी। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि षिक्षा के बजट को बढाने की मांग करने वाले स्वार्थी तत्व यह क्यो नही देखते कि सरकारें अपढ लोगों की खेती वन उत्पादन शारीरिक श्रम आदि पर भारी कर वसूल करती है तब वह बजट बनाती है। खेती पर टैक्स और टैक्स से षिक्षा । यह बिल्कुल गलत है।

नक्सलवाद से जुडे अधिंकाष लोग सरकारी स्कूलो से पढकर आते है तथा अन्य अनेक प्रकार के गंभीर वौद्धिक अपराध करने वाले प्राइवेट स्कूल से, यह बात सही है। गरीब बच्चे तो ज्यादा सरकारी स्कूलो मे ही पढ पाते है। सरकारी स्कूलो की सुविधा और स्तर प्राइवेट स्कूलो की अपेक्षा बहुत कम है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के अपराधी बच्चे नक्सलवाद तक सीमित रह जाते है तो प्राइवेट वाले दूसरे अधिक साफ सुथरे अपराधों की ओर । जब षिक्षा से चरित्र बनता ही नही तो हम अपने बजट का साढे छः प्रतिषत षिक्षा पर खर्च रोककर या तो पुलिस और न्यायालय पर लगा दे या गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के उत्पादन उपभोग की वस्तुओ पर लगाने वाला टैक्स ही खतम कर दें। इससे तीन लाभ होगे। 1. पुलिस और न्यायालय मजबूत होकर अपराध नियंत्रण की दिषा मे बढेंगे। 2. गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान की आर्थिक हालत ठीक होगी। 3. सरकारी षिक्षा माफिया रूपी बिचौलिये बेरोजगार होकर नया व्यापार खोजेंगे।

रविषंकर जी को बोलने के पूर्व मेरा बयान ठीक से पढ लेना चाहिये था तो शायद यह भ्रम नही फैलता।

प्रष्नोत्तर

1.श्री रवीन्द्र जुगरान, नवोत्थान सेवा, हिन्दुस्तान समाचार

विचार–आज सम्पूर्ण विष्व मे विषेष रूप से भारत मे इस्लाम के विस्तार के नाम से जो गुनाह अत्याचार मजहब के हुक्म का वास्ता देकर किये जा रहे है वे अवष्य ही गैर इस्लामिक एवं निंदनीय है, जिसका एक स्वरूप आतंकवाद है दूसरा इस्लामीकरण, तीसरा धर्मपरिवर्तन चौथा दाउद षणयंत्र तो पांचवा लव जिहाद।

मुझे लगता है कि इस्लाम के संस्थापक पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब जिनका जन्म 26 अप्रेल सन 571 ई0 को हुआ था जिनके पिता जन्म के समय चल बसे थे और मॉ छः वर्ष की अवस्था मे ही उन्हे छोडकर दुनिया से विदा हो गई थी। आज जो कुछ इस्लामिक संस्थाए कर रही है ये सभी कार्य इस्लाम की षिक्षा के अनुकूल नही है। इस्लाम के संस्थापक ने कभी भी इस्लामिक मजहब के आज के स्वरूप की कल्पना भी नही की होगी। मेरे विचार से जिस मजहब मे पैगम्बर पीर फकीरो की परंपरा रही है, जिसमे अल्लाह की साधना का सूफियाना अंदाज है वहॉ उपरोक्त विचारो का होना इस्लाम की गलत व्याख्या है। देवबंद सहित देष के अन्य इस्लामिक केन्द्र वास्तव मे अपने समाज का विकास कर उसे बदलना चाहते है। उन्हे इस्लाम की षिक्षाओ का प्रचार प्रसार कर उसके अनुकूल आचरण करना चाहिये । जैसा कि स्वयं पैगम्बर मोहम्मद साहब ने आदेष दिया है कि स्वयं भोजन करने से पहले यह देख ले कि कहीं आपका पडोसी भूखा तो नही सो गया है । विधवा विवाह को मान्यता देते हुए उन्होने स्वयं अपना निकाह अपने से 15 वर्ष बडी हजरत खदीजा को साथ करके नारी को नया जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान की । आज आवष्यकता इस बात की है कि इस्लामिक संस्थाए मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक जीवन स्तर को उपर उठाने के कार्य करते हुए मादरे वतन से प्रेम करने के पाठ को पढाते हुए हिंसात्मक गुनाहो के रास्ते को छोडे । मात्र जनसंख्या वृद्धि के आधार पर पूरे विष्व पर अधिकार करने का स्वप्न देखने के बजाय उन्हे ऐसे मानव बनाने की आगे अग्रसर होना चाहिये जिसमे बाबा फरीद जायसी रहीम मिर्जा गालिब अषफाक उल्ला खा और ए पी जे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति बन सकें।

आज अनेक घटनाएं इस्लामिक जेहाद के नाम से संपूर्ण भारत मे हो रही है, जिसको प्रेम का नाम देकर आधुनिक विचारो से जोडकर देखा जा रहा है। जबकि ऐसी सभी घटनाए शुद्ध इस्लामीकरण के अलावा और कुछ नही है। यदि हम प्राप्त आकडो पर दृष्टि डाले तो पिछले वर्ष तक दिल्ली एवं आंन्ध्र प्रदेष से लगभग 15 हजार हिन्दू लडकियां लव जिहाद मे फंसी है, केरल मे 2530 और कर्नाटक मे कई हजार लडकियों को फसाकर उन्हे इस्लाम धर्म मे धर्मान्तरित किया गया है। वहीं असम राज्य सहित पूर्वोत्तर की अनेक हिन्दू लडकियां भी इस चंगुल मे फंस रही हैं। महाराष्ट गोवा उत्तर प्रदेष जम्मू कष्मीर राजस्थान मे भी ये संख्या अत्याधिक है। एक अनुमान के मुताबिक सन 2001–10 तक लाखों हिन्दु युवतिया लव दिहाद मे फंसकर इस्लामिक षडयंत्र का षिकार हुई है। सी बी आई के प्रतिवेदन के अनुसार देष भर से लव जिहाद से धर्मान्तरित लगभग 4 हजार लडकियों को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन आतंकी कार्यो के लिये प्रषिक्षण दे रहे है।

भारत हमेषा से प्रेम का उपासक रहा है। हमारे यहॉ शकुंतला दुष्यंत का प्रेम राम सीता का प्रेम कृष्ण राधा का प्रेम प्रसंग और वर्तमान मे अनेक सफल विवाह इसका प्रमाण है । मेरी मान्यता है कि प्रेम मे बंधन नही समर्पण होता है । प्रष्न खडा होता है कि यदि लव जिहाद सच्चा प्रेम होता है तो ऐसे प्रेम विवाह मे हिन्दू लडकी का धर्म परिवर्तन क्यो करवाया जाता है। प्रत्यक्ष उदाहरण अभिनेत्री शर्मिला टैगार ने क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ प्रेम विवाह किया तो उसको अपना नाम बदलकर बेगम आयषा सुल्तान बनना पडा पटकथा लेखक सलीम खान से प्रेम विवाह किया 15 वर्ष साथ रहकर बच्चे पैदा किये और यह कहा कि मेरे बच्चे मुसलमान रहेगे फिर रीना दत्त को छोडकर दूसरा विवाह निर्देषक किरण राव से करलिये । शाहरूख खान ने गौरी छिब्बल से प्रेम विवाह किया । सैफ अली खान ने तो अपने से 15 वर्ष बडी अभिनेत्री अमृता सिंह से प्रेम विवाह किया और अब अभिनेत्री करीना कपूर से करने जा रहे है। जम्मू कष्मीर, राज्य के मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिमाचल की हिन्दू लडकी पायल से प्रेम विवाह किया, दो बच्चे पैदा किये अब 10–12 वर्षो बाद उनका प्रेम समाप्त हो गया और उसको त्याग दिया। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा किसी भी मजहब से कोई भेदभाव नहीं सभी का सम्मान मेरे हृदय मे है। मै मंदिर मे भी मस्तक झुकाता हूॅ और जहॉ अल्लाह की नमाज अदा की जाती है वहॉ भी सिर नवाता हूॅ । हमारा मानना है कि ईष्वर एक है उसको याद करने के मार्ग अलग अलग है। अब कोई भी प्रेम करके विवाह करे इसका विरोध नही है, परन्तु प्रेम जैसे ईष्वरीय नाम को इस्लाम की चादर ओढाकर धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है, अनैतिक है, धर्म विरूद्ध है । पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब जिन्हे रहमत उल आलमीन यानि पूरे संसार का कृपा करने वाला सदिक यानि सच्चा बोलने वाला कहा जाता है। ये उनकी षिक्षा के विपरीत है। गीता मे श्रीकृष्ण स्पष्ट आदेष देते है कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें। क्योकि परधर्म भय देने वाला और स्वधर्म का पालन करने वाला सबको प्रेम करने वाला

होता है। हिन्दू संस्कृति के इस उदार विचार का पालन करके सभी मजहब के प्राणियों की एकता का आधार रचकर सर्वधर्म सम्मान को स्थापित किया जा सकता है।

उत्तर– आपने लव जिहाद नाम से जिस समस्या का ध्यान खींचा है वह गंभीर समस्या है। मैंने पूर्व में भी इस समस्या की दो बार चर्चा की है।

विचारणीय प्रष्न यह है कि आज समाज में जो समस्याएँ स्पष्ट दिख रही हैं उनकी प्राथमिकताओं के क्रम में यह समस्या कहां खड़ी है। एक समस्या यह है कि पूरे भारत में औसत षरीफ व्यक्ति निरंतर कमजोर तथा धूर्त बदमाष अपराधी निरंतर मजबूत हो रहे हैं। षरीफ लोगों का मनोबल टूट रहा है तथा उनमें कायरता का भाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर अपराधियों का मनोबल भी लगातार बढ़ रहा है और हिम्मत भी। पहले आक्रमण की आवष्यकता महसूस होने लगी है। कानून हमारी सुरक्षा में असफल सिद्ध हो रहे हैं।

दूसरी समस्या है चरित्र की गिरावट। हम चरित्र के मापदण्ड को कितना ही नीचे खिसका रहे हैं किन्तु वह मापदण्ड एक दो वर्ष भी नहीं टिक पा रहा। हमारा चरित्र का मापदण्ड कम से कम इतना तो हो जिससे एक तिहाई ही आबादी नीचे दिखती हो। यदि हमने स्वतंत्रता के समय के चरित्र से तुलना करनी षुरू की तो षायद एक प्रतिषत आबादी भी उपर न बच सके।

भ्रष्टाचार भी हमारे समक्ष एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार को प्रमुख समस्या बताकर बाबा रामदेव या अन्ना जी संघर्ष कर ही रहे हैं। आर्थिक असमानता तथा श्रम षोषण भी कोई साधारण खतरनाक समस्या नहीं। मिलावट, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि इस लाइन में खड़े दिखते ही हैं। जातीय कटुता, साम्प्रदायिकता भी कोई छोटी समस्या नहीं जिसकी अन्देखी की जाय।

प्रष्न उठता है कि मेरी समाधान की कुल क्षमता को यदि एक सौ यूनिट मानूं तो मैं किस समस्या के समाधान में कितनी यूनिट लगाउँ। यह तो बुद्धिमानी नहीं होगी कि बिना सोचे समझे कभी किसी समस्या पर पूरा जोर लगा दें और कभी किसी समस्या पर। इसलिये मैंने अपने अनुभव तथा चिन्तन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था समस्याएँ पैदा ज्यादा कर रही है और समाधान कम। लगभग सभी समस्याएँ राजनैतिक चरित्र पतन से पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। राजनीति ने समाज व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया है। लोकतंत्र बदलकर तंत्रलोक हो गया है। मैं अपनी ताकत का ज्यादा भाग इस तंत्रलोक रूपी उल्टे पिरामिड को पलट कर लोकतंत्र रूपी सीधा पिरामिड करने में लगा रहा हूँ जिसे हम लोक स्वराज्य कहते हैं।

मैं अपनी षक्ति का कुछ भाग नई समाज रचना पर लगाना चाहता हूँ जिसे हम ग्राम सभा सषक्तिकरण कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो किन्हीं और समस्याओं को प्राथमिकता के क्रम में उपर रखकर उस पर ज्यादा से ज्यादा षक्ति खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मैं आंषिक सहायता मात्र करता हूँ, ताकत नहीं लगाता। भारत को दारूल इस्लाम बनाने में लगे इस्लामिक कट्टरपंथियों का उद्देष्य पूरा न हो ऐसा प्रयत्न करने वालों का मैं समर्थक हूँ किन्तु यह कार्य मेरी प्राथमिकता में सबसे उपर नहीं क्योंकि मुझे इस कार्य में लगे संगठनों में से आर्य समाज की नीयत पर तो विष्वास है किन्तु संघ परिवार की नीयत पर विष्वास नहीं। संघ परिवार समाज सषक्तिकरण को महत्वपूर्ण न मानकर राष्ट्र सषक्तिकरण अथवा धर्म सषक्तिकरण को ज्यादा महत्व देता है। मुझे संदेह है कि संघ परिवार राजनैतिक षक्ति प्राप्त करने के लिये हिन्दुत्व की भावना का उपयोग करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस्लामिक कट्टरवाद के विरूद्ध सामाजिक षक्ति खड़ी हो जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख का भेद न हो।

हिन्दू लड़कियॉ कई कारणों से मुसलमानों की ओर आकृष्ट होती हैं। उनके अन्दर ज्योंही सेक्स की इच्छा पैदा होती हैं त्योंही उसे अपनी भूख मिटाने के लिये मुसलमान युवक पैंट खोले सरलता से तैयार मिलता है। हिन्दू युवक को धर्म की भी चिन्ता है और समाज की भी। परिवार के भय से तो वह कांपता ही रहता है। दूसरी ओर मुस्लिम युवक औसतन ऐसी चिन्ताओं से कम प्रभावित होता है। उस समय उसे न धर्म की चिन्ता है न परिवार की। उसे आमतौर पर कहीं से योजनाबद्ध प्रोत्साहन नहीं है। प्रोत्साहन तो तब षुरू होता है जब उन दोनों का साथ रहना निष्चित दिखने लगता है। ऐसी हालत में हिन्दू धर्म तो इसकी साथ रहने की इजाजत नहीं देता और इस्लाम इसे पुण्य कार्य मानता है। कुल मिलाकर यही है लव जिहाद।

मैंने आज से पैंतालीस वर्ष पूर्व एक षहर में इस समस्या का समाधान खोजा था। वहॉ के हिन्दू मुस्लिम इसाईयों ने मिलकर एक नियम बनाया कि समाज धर्म से उपर होगा। सब व्यक्तियों को अपना अपना धार्मिक कार्य करने और मानने की पूरी स्वतंत्रता भी होगी और संरक्षण भी किन्तु धर्म के आधार पर बने किसी भी संगठन की अपेक्षा सम्पूर्ण षहर का एक संगठन होगा जिसे हम समाज कहते हैं। समाज से उपर न राजनैतिक संगठन होंगे न धार्मिक संगठन। हमारे षहर में यह सामाजिक नियम होगा कि यदि कोई लड़का किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ संबंध बनाकर उसे पत्नी बनाना चाहेगा तो लड़के का धर्म बदलना अनिवार्य होगा, लड़की का नहीं। यदि वह न माने तो वह षहर छोड़कर जा सकता है अन्यथा उसका सामाजिक बहिष्कार होगा। यहॉ तक हुआ कि वहॉ के तीन मुस्लिम युवकों ने हिन्दू धर्म स्वीकार करके हिन्दू हो गये। वहॉ यह भी नियम बना था कि किसी धर्म वालों की गुप्त बैठक नहीं होगी। कोई धार्मिक बैठक खुली होगी जिसमें दूसरे धर्म के दो लोग दूर बैठकर सुन और देख सकते हैं। हिन्दुओं ने और मुसलमानों ने इस नियम का पालन किया। स्थानीय संघ कार्यकर्ता भी सहमत थे किन्तु बाहर के संघ वालों ने इतना षड़यंत्र, खासकर मेरे विरूद्ध किया कि दो तीन वर्ष बाद ही मुझे अपने कदम वापस लेने पड़े। जिस दिन वहॉ के तीन मुसलमान हिन्दू बने उस घटना को पाकिस्तान रेडियो ने प्रसारित किया। मैं मुसलमानों से जीत गया और कथाकथित अपनों से हार गया। यह तो रेकार्ड की घटना है कोई कहानी नहीं।

मैं प्रारंभ से ही समान नागरिक संहिता का पक्षधर हूँ तथा धर्म परिवर्तन कराने पर कानूनी रोक का पक्षधर हूँ। मै चाहता था कि हमारे षहर सहित एक सौ तीस गांवों के लोग मिलकर ये दो प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करें। 1. समान नागरिक संहिता हो। व्यक्ति एक इकाई हो भारत सौ करोड़ व्यक्तियों, बीस करोड़ परिवारों, कुछ लाख गांवों, कुछ हजार जिलों, कुछ प्रदेषों का संघ होगा। धर्मों, जातियों, लिंगों आदि का संघ नहीं। सरकार सबको समान स्वतंत्रता तथा समान सुविधा देगी। सबके कानून समान होंगे।

2. धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता होगी। साथ ही धर्म परिवर्तन कराने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोषिष दण्डनीय अपराध होगी। मुझे विष्वास था कि इससे एक नई मुहिम षुरू होगी। मुसलमानों ने इक्का दुक्का ही विरोध किया किन्तु संघ वाले एकदम से भड़क गये। उन्हें समान नागरिकता के साथ साथ हिन्दू राष्ट्र भी चाहिये और गोहत्या बन्दी कानून भी। मेरा कहना था कि गोहत्या बन्दी कानून सरकार का काम नहीं, ग्राम सभा का काम है। उन्होंने मेरे ही खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। मैंने बहुत कहा कि हम लोग तो एक षहर और एक सौ तीस गांवों में नया प्रयोग कर रहे हैं। बाकी पूरा भारत तो आपके लिये खुला है। आपने अस्सी वर्षों में जो किया वह हम देख रहे हैं। अपराध बढ़ गये, चरित्र गिर गया, हिंसा बढ़ गई, नक्सलवाद बढ़ गया, और हिन्दुत्व भी नहीं बचा। एक पाकिस्तान सन् सैंतालीस में बना और दूसरा फिर बनने की स्थिति बन रही है। हमारे प्रयत्नों से अपराध घटे, चरित्र बढ़ा, हिंसा घटी, नक्सलवाद घटा। सिर्फ एक काम नहीं हुआ कि हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण कराकर जो वोट बटोरने की योजना थी वह सफल नहीं हुई। इसके बदले में साम्प्रदायिकता भी घटी और धर्म परिवर्तन भी रूका। मैं अब तक नहीं समझा कि संघ को एक छोटे से षहर के इस नये प्रयोग से इतना डर क्यों था? संघ के अधिकांष स्थानीय कार्यकर्ता सहमत भी रहें और साथ भी है किन्तु संघ के एक उच्च पदाधिकारी सारा अन्य काम छोड़कर हमारी योजना की तोड़ फोड़ में दिन रात लगे रहे और आज भी हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा कष्ट उक्त संघ प्रमुख तथा उनके कुछ उच्च पदाधिकारियों को ही है यद्यपि उस प्रयोग क्षेत्र में उनका विरोध अब महत्वहीन होता जा रहा है। संघ के ही लोग धीरे धीरे हमारी योजना को समझने का प्रयास कर रहे हैं।

आपने पत्र द्वारा इस समस्या पर मेरी राय जाननी चाही है। बताइये मैं आपको क्या राय दूँ। मेरा मार्ग कहीं न कहीं भिन्न है। मेरे विचार में इस्लाम का धर्म वाला हिस्सा जरा भी खतरनाक नहीं है, सिर्फ इस्लाम का संगठन वाला हिस्सा खतरनाक है। यदि समाज भावना मजबूत हो जावे तो

इसमें हिन्दू, मुसलमान, इसाई के धर्म वाले हिस्से एक जुट होकर हिन्दू मुसलमान इसाई के संगठन वाले भाग को किनारे कर देंगे। इस तरह इस समस्या का जड़ से समाधान हो सकता है। राजनैतिक दल ऐसा नहीं होने देते। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण को हवा देकर उनके सामूहिक वोट चाहती है तो भाजपा मुस्लिम खतरनाक को हवा देकर हिन्दुओं के एकजुट वोट चाहती है। दोनों के बीच में षराफत और चरित्र पिस रहा है।

मैं अब भी मानता हूँ कि संघ परिवार नया मार्ग खोजे। समाज सषक्तिकरण उसकी एक अच्छी दिषा हो सकती है। संघ परिवार सत्ता संघर्ष से स्वयं को दूर कर ले। संघ परिवार गाय, गंगा, मंदिरा हिन्दू आदि को किनारे करके समान नागरिक संहिता, धर्म परिवर्तन कराने पर रोक तथा लोक संसद जैसे मुद्दे सामने लायें। समान नागरिक संहिता के नाम से ही सभी साम्प्रदायिकता षक्तियां, जिनमें मुस्लिम संगठन सर्वाधिक हैं एकाएक जीने मरने तक विरोध करेंगी। ध्रुवीकरण धर्म निरपेक्ष और साम्प्रदायिकता के बीच कराना होगा अन्यथा लव जिहाद चलता रहेगा, हिन्दुओं की संख्या घटती रहेगी, संघ परिवार लव जिहाद के नाम पर हिन्दुओं को इकट्ठा करता रहेगा और परिणाम जो चल रहा है वही चलता रहेगा।

2.श्री देवन्द्र दत्त, द्वारा जलकुर घाटी संदेष, उत्तरांचल

विचार —उन्तीस अगस्त दो हजार ग्यारह को देहरादून में पंचायती राज ऐक्ट पर जानकारी और सुझाव पर एक दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन मे सुझाव आये जो इस प्रकार हैं।

परिसीमन– राज्य में निम्न 4 स्तर की पंचायतें होनी चाहिये इसका परिसीमन निम्नलिखित चार चुनावी प्रकिया में संपन्न हों–

1. ग्राम पंचायत
2. न्याय पंचायत
3. क्षेत्र पंचायत
4. जिला पंचायत

1. ग्राम पंचायत

क. पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का परिसीमन भौगोलिक व जनसंख्या दोनों आधार पर होगा। 500–1000 के बीच जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगी। परन्तु जहॉ जनसंख्या घनत्व कम होगा वहॉ दो किलोमीटर की परिधि में ग्राम पंचायत होगी।

ख. मैदानी क्षेत्रों में 1500 से 1800 की जनसंख्या के बीच सुविधानुसार ग्राम पंचायतें हों।

चुनाव प्रकिया

क. ग्राम सभा के सदस्यों तथा ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो।

ख. ग्राम सभा के सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर हो–किन्तु इसमें यह ध्यान रखना आवष्यक है, कि वह संख्या न्यूनतम 10 व अधिकतम 15 हो।

ग. ग्राम सभा के प्रधान के लिये ग्राम सभा के समस्त वयस्क मतदाता मतदान करें।

घ. सदस्य के लिए सम्बन्धित वार्ड के मतदाता मतदान करें।

2. न्याय पंचायत

न्याय पंचायत के परिसीमन का आधार भी सांस्कृतिक व भौगोलिक हो।

पहाड़ी क्षेत्र में 10 ग्राम पंचायतों को मिला कर एक न्याय पंचायत होगी। यहॉ जनसंख्या कोई आधार नहीं होगी।

मैंदानी क्षेत्र मे 8 से 10 ग्राम पंचायत पर एक न्याय पंचायत हो।

पंचायतों के अधिकार

ग्राम पंचायत को अधिकार होना चाहिये कि उनकी भूमि पर बाहरी व्यक्ति यदि कोई योजना/परियोजना चलाता है तो, सबसे पहले ग्राम सभा/ग्राम पंचायत को इसमें क्या लाभ–हानि होगी इसका सामाजिक व पर्यावरणीय आंकलन हिन्दी भाषा में करने के बाद ही स्वीकृति दी जा सकती है।

जल, जंगल, जमीन से संबंधित विभाग ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों की विकेन्द्रित व्यवस्था के साथ विलीन होंगे।

बाजार में समान बेचना, खरीदना तथा बाजार में किस–किस सामान पर नियंत्रण व बिक्री करने या न करने की अधिकार आस–पास के गांव पंचायतों का रहेगा।

षराब तथा षराब के ठेके पर पूर्ण प्रतिबंध हो। विदेषी पेय कोका कोला, बिसलरी आदि की बिक्री को रोका जाये। इसके स्थान पर स्थानीय जड़ी–बूटियों, फलों व सब्जियों के रसों से पेय पदार्थों को तैयार कर बाजार में बेचने का प्रचलन प्रारम्भ किया जाये। राज्य में इस प्रकार के पेय पदार्थों के विकास–प्रसार के लिये फल, जड़ी–बूटियों तथा सब्जियों की खेती को बढ़ावा मिले।

ग्राम सभाओं को केन्द्र मानकर नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिये, इसमें ग्राम सभा/ ग्राम पंचायतों को वन नीति, जल नीति, भू एवं कृषि नीति, कुटीर उद्योग आदि नीतियों के निर्धारण व क्रियान्वयन में इनकी सहभागिता आवष्यक रहेगी।

न्याय पंचायतों की पुनःस्थापना हो। न्याय पंचायतें, गांव के झगड़े गांव में निपटाने की तर्ज पर न्याय करने के लिये स्वतंत्र होगी।

पटवारी, पंचायत अधिकारी तथा वन दरोगा के नीचे के सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण व अधिकार पंचायतों का होगा।

गांव सभा में वे अधिकार निहित हों, जिससे वह अपने जल, जंगल, जमीन का नियोजन, संरक्षण व उसकी उपज का उपभोग तथा हक–हकूकों के आधार पर विनियोजन कर सके। अतः जल, जंगल, जमीन, का अधिकार गांव सभा के पास होना चाहिए। राज्य सरकार को इसके संतुलित दोहन की जिम्मेदारी गांव सभाओं पर छोड़ देनी चाहिए। इसके लिये जो भी आर्थिक संसाधन मिलता हो उसे गांव को देना चाहिए।

ग्राम से लेकर जिला पंचायत के अधिकारों व कर्तव्यों के निर्धारण के लिये राज्य सरकार को एक बहस करानी चाहिए तथा सुझाव के लिये गैर राजनीतिक/दलीय राजनीतिक संस्थाओं के साथ एक बैठक बुलाकर बातचीत करनी चाहिए जिसके द्वारा षीघ्र ही पंचायती राज एक्ट बनना चाहिए।

देहरादून में हुई बैठक के संबंधित सुझाव मीडिया में 30 अगस्त को प्रचारित हुये। इसके बाद 15 दिन के अन्दर कैबिनेट में पंचायती राज एक्ट को रखने की तैयारी के लिये सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी, विधान सभा में पंचायती राज एक्ट के निर्माण हेतु एक अन्य समिति का निर्माण भी सरकार ने किया है। जिसकी प्रकिया चल रही है। अब नयी विधान सभा 2012 में ही पता चलेगा कि पंचायती राज एक्ट को आगे और कितना धकेला जायेगा।

उत्तर– लगता है कि आप सब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का अन्तर नहीं समझ सके हैं। ग्राम सभा मालिक होती है और ग्राम पंचायत मैंनेजर। ग्राम सभा का कभी चुनाव नहीं होता। प्रत्येक बालिग मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है जो तब तक सदस्य है जब तक वह उस गांव का मतदाता है। अतः चुनाव प्रकिया के अन्तर्गत आपने जहॉ जहॉ ग्राम सभा लिखा है वहॉ पर ग्राम पंचायत लिखें। आपने ग्राम पंचायत में महिला पुरूष, सवर्ण अवर्ण, आदिवासी गैरआदिवासी का भेद करने का सुझाव दिया है जो घातक है। ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं कि वह व्यक्ति के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करें। ग्राम सभा निर्णायक है। ग्राम सभा में कहीं भी महिला पुरूष, सवर्ण अवर्ण, आदिवासी गैरआदिवासी का भेदभाव नहीं है तो ग्राम पंचायत में भी ऐसा भेद क्यों? वर्तमान समय में पुरूष, सवर्ण, गैर आदिवासी धनी लोग मजबूत स्थिति में हैं तथा महिला, आदिवासी, अवर्ण, गरीब कमजोर। यह अन्तर पैदा करके हम वर्ग विद्वेष पैदा करना चाहते हैं जो शरीफ सवर्ण, शरीफ गैर आदिवासी, शरीफ धनी आदमी को कमजोर करेगा तथा धूर्त महिला धूर्त अवर्ण धूर्त गरीब धूर्त आदिवासी को मजबूत । साठ वर्षो के आरक्षण के बाद सब प्रकार के शरीफ लोग कमजोर हुए है और सब प्रकार के धूर्त

मजबूत । सभी धूर्त चाहते है कि ऐसा आरक्षण लम्बे समय तक जारी रहना चाहिये जिससे ध्रुवीकरण शरीफ और बदमाष धूर्त के बीच न होकर जाति धर्म लिंग के आधार पर हो। आप अपने सुझाव पर दुबारा सोचे। मै जानता हूँ कि आरक्षण का लाभ उठा चुके धूर्त आपके सुझाव का विरोध करेंगे किन्तु यदि आपका उद्देष्य वोट लेकर नेता नही बनना है तो यह खतरा उठाना अच्छा ही होगा।

पंचायतो के अधिकार की चर्चा करते समय आपने लिखा कि शराब पर पूर्ण प्रतिबंध हो । विदेषी वस्तुओ की बिक्री को रोका जावे। मेरे विचार मे आपकी भाषा गलत है। शराब रूके यह हमारा सुझाव मात्र हो सकता है किन्तु शराब कोकाकोला आदि रूके इसके निर्णय का अंतिम अधिकार ग्राम सभा का ही होना चाहिये न कि आपका या किसी बाहरी इकाई का। यदि किसी विदेषी वस्तु का बहिष्कार आपकी राय मे उचित दिखता है तो कही अपने गांव से बाहर का उत्पाद गांव वालों को बुरा लग सकता है। अच्छा हो कि राष्ट्र को महत्वपूर्ण इकाई घोषित करने की गलत अवधारणा को छोडे । व्यक्ति से लेकर विष्व तक की व्यवस्था मे राष्ट्र भी वैसी ही संप्रभु इकाई है जिस तरह गांव। राष्ट्र गांव को आदेष निर्देष नही दे सकता कि ग्राम सभा शराब या कोकाकोला को जारी रखे या रोके। यह ग्राम सभा का अपना अधिकार है। ग्राम सभा भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और परिवार के परिवारिक मामलों मे बिना उसकी सहमति के कोई कानून नही बना सकती। शराब या कोकाकोला व्यक्ति या परिवार का आंतरिक मामला है सार्वजनिक नही। मेरा आपसे निवेदन है कि आप दूसरों पर अपने विचार थोपने की बीमारी से मुक्त होइये। आप यदि उपर वाले दबाव से मुक्त होना अपना अधिकार समझते है तो नीचे वाले को अपने दबाव से मुक्त करना अपना कर्तब्य भी समझिये।

3 प्रष्न– केन्द्र सरकार ने जहॉ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या तीस प्रतिषत से कम बताई है वही राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एन सी सक्सेना ने कहा कि गरीबी का घटा हुआ बताया जाना जनता के साथ धोखा है। गरीबी रेखा के नीचे सत्तर प्रतिषत लोगरहते है न कि तीस प्रतिषत । आपके विचार मे कौन ठीक कह रहा है? सरकार या राष्ट्रीय सलाहकार समिति सदस्य । यह मामला जल्दी निपट क्यो नही रहा।

उत्तर–गरीबी रेखा एक ऐसा फल है जिसे निचोड निचोड कर रस पीना सरकार का भी उद्देष्य रहा है और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भी । राजनेता जब इसमे से रस निचोडता है तो वोट रूपी रस निकलता है और सलाहकार समिति निचोडती है तो वेतन भत्ते रूपी रस। लेखक और मीडिया कर्मी भी कुछ न कुछ निचोडकर इसका उपयोग करते ही रहते है। गरीबी रेखा संबंधी जो भी आकडे आप सुनते है वे सब सही है चाहे वे किसी के भी द्वारा क्यो न कहे जावे क्योकि सबकी अपनी अपनी रेखा है और अपनी रेखा के मुताबिक आंकडे। सवाल आंकडो का नही है। सवाल है किसी मान्य रेखा का । भारत की न्यायपालिका के लोग भी अपना काम छोडकर इस रेखा के पीछे इस लिये लगे रहते है क्योकि उन्हे कुछ सस्ती लोकप्रियता चाहिये ही। वे भी तो बेचारे मनुष्य ही है।

जो भी विपक्ष मे है वह मानता है कि कुछ प्रतिषत अमीरों को छोडकर बाकी सब लोग गरीब है। जो सत्ता मे है वे मानते है कि कुछ प्रतिषत गरीबो को छोडकर बाकी सब अमीर है। अहलूवालिया जी यदि सत्ता मे नही होते तो उनकी परिभाषा वह नही होती जो आज है । इसी तरह यदि मनमोहन सिंह जी की जगह पर राहुल गाधी प्रधानमंत्री होते तो सक्सेना जी के तर्क बदले हुए होते। सक्सेना जी तथा अहलूवालिया जी खिलाडी न होकर मुहरे है। वे मुहरे भी दोनो ही कांग्रेस के है । एक है सरकारी मुहरे तो दुसरें है सोनिया जी के। सोनिया इस समय विपक्ष की भूमिका अदा कर रही हैं जो दो मार्चो पर एक साथ लड रही है। (1) सरकार विरोधी विपक्ष (2) सरकार प्रमुख मनमोहन सिंह। इस दुहरी लडाई मे सोनिया जी के प्यादे मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह आदि तो प्रत्यक्ष दिखते ही है किन्तु राष्ट्रीय सलाहकार समिति इसमे सबसे ज्यादा महत्व पूर्ण भूमिका अदा करती है जिसके प्रमुख सदस्यों मे सक्सेना जी भी हैं।

मै देख रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा के मापदण्ड के विषय मे कुछ लिखता है वह सबसे पहले यह सोचता है कि कहीं वह स्वयं तो उस रेखा से बाहर नहीं रह जायगा? यदि वास्तव मे कोई रेखा बननी है तो ऐसी बननी चाहिये जिससे दोनो वर्ग संतुष्ट हों। पूरे भारत में लम्बे समय से एक अमीरी रेखा बनने की मांग उठती रही है। हम एक अमीरी रेखा बना दें जिसमें करीब आठ से दस प्रतिषत लोग आ जावें । शेष नब्बे प्रतिषत को गरीब मान लें । इन गरीबों मे से सबसे नीचे वालों की एक अंत्योदय रेखा बनाकर एक वर्ष मे उन्हे गरीबी रेखा से उपर उठा दें। यह रेखा प्रतिवर्ष बदलती जायगी क्योकि पहली रेखा तो एक वर्ष मे ही अस्तित्व हीन हो जायगी। पहले वर्ष के लिये पंद्रह रूपया प्रति व्यक्ति घोषित कर दे तब भी पर्याप्त होगा। इससे गरीबी रेखा के नाम पर विचौलियों की लेखनी बन्द हो जायगी। कर लगाते समय भी ध्यान रखना होगा कि अमीरी रेखा से उपर वालों पर अधिकतम टैक्स शून्य सुविधा, अमीरी रेखा से नीचे वालो को न्यूनतम कर न्यूनतम सुविधा तथा अंत्योदय रेखा से नीचे वालो को शून्य कर अधिकतम सुविधा की व्यवस्था कर दे। मै उम्मीद करता हूँ कि ऐसा करने से गरीबी रेखा भी घट जायगी तथा न्याय भी हो जायगा। आप लोग जो दो वर्ग गरीब और अमीर बनाकर गरीबी रेखा के नीचे अधिक से अधिक संख्या जोडने का सुझाव रख रहे है वह आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है, अन्याय पूर्ण है अंत्योदय वालों के साथ छल है। यह ठीक नहीं।

4.श्री वेद प्रताप वैदिक दिल्ली

विचार– अन्ना हजारे की टीम से संसद का खफा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह मामला अब सिर्फ कॉग्रेस तक सीमित नहीं रह गया है । अन्ना टीम ने अपने वर्ताव से यह सिद्ध किया है कि वह अपने दुष्मन खडे करने की कला मे प्रवीण है। अब कांग्रेस ही नही, वे पार्टियां भी अन्ना आंदोलन की विरोधी हो गई है, जो कल तक उसका समर्थन कर रही थीं। सुषमा स्वराज्य जैसी उदार और गंभीर सांसद को संसद मे खडे होकर अन्ना टीम के विरूद्ध बोलना पडे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। शरद यादव जैसे जनवादी और जिम्मेदार राजनेता के भाषण को काटपीट कर पर्दे पर दिखाना और उनकी सहानुभूति खो देना क्या किसी परिपक्व नेतृत्व का सबूत है?

इसमे शक नही कि पिछले दो तीन दषक मे हमारे राजनेताओ की प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा घटी है लेकिन उन्हे चोर बलात्कारी अपराधी आदि कह देना और सभी को एक ही डंडे से हांक देना आखिर किस बात का सबूत है? क्या इसका नही कि इस आंदोलन को चलाने वाले लोग गहरी हताषा से ग्रस्त हो गये? उन्हे पता चल गया है कि जिसे वे आंदोलन समझ रहे थे, वह आंदोलन था ही नही, वह सीधा सरल जन आक्रोष था। भ्रष्टाचार के विरूद्ध जो हांडी साल भर से खदबदा रही थी, वह रामलीला मैदान पर अचानक फूट पडी। लोकपाल के नाम पर जब इसी हांडी को मुबई के चूल्हे पर दुबारा चढाया गया तो वह काठ की हांडी सिद्ध हुई । अब फिर जंतर मंतर पर भीड जमा करने के लिये नया टोटका लाना पडा । व्हिसिल ब्लोअर्स के परिजन को जमा करना पडा।

क्या यह टोटके बाजी किसी गंभीर आंदोलन का आधार बन सकती है? आप कितने टोटके और कब तक लाते रहेगें? यदि संसद ने लोकपाल बिल पास कर दिया तो फिर आपके पास करने के लिये क्या रह जायगा? कुछ भी नही। कुछ भी नही का डर सबसे बडा डर है। यही डर अनाप शनाप बुलवा रहा है। आप जिस डाल पर बैठे है, उस पर ही कुल्हाडी चला रहे हैं। जिस संसद से आपको लोकपाल बिल पास करवाना है आप उसे ही चोरों का अड्डा बता रहे है। यदि वह वैसी ही है तो आप उसके आगे नाक क्यो रगड रहे हैं? क्यो संसदीय नेताओं के घरों पर जा जाकर आपने अपना कीमती वक्त खराब किया? जंतर मंतर की पिछली सभा मे उन्ही चोरों और अपराधियों को बुलाकर आपने अपने सिर पर क्यों बिठाया? संसद को दी हुई गाली आखिर जाकर किस पर पडती है? उस पर जिसने उन्हे चुनकर भेजा है। आप घुमा फिराकर भारत की जनता को गाली दे रहे है। इतनी भी खिसीयाहट किस काम की है कि आप खंभा ही नोचने लगें?

यदि इस आंदोलन को चलाने वालों को जरा भी अनुभव होता और उनमे बौद्धिक परिपक्वता होती तो यह सच्चा जन आंदोलन बन सकता था और शायद अब भी बन सकता है। इस संबंध मे अन्ना को दोष देना बिल्कुल भी उचित नही है। वे तो एक प्रतीक भर है । वे एक अच्छे और लगनषील

ग्रामीण कार्यकर्ता हैं। उनके बहाने देष मे भ्रष्टाचार कि विरूद्ध अपूर्व जन चेतना फैली लेकिन नेता, नीति और कार्यक्रम के अभाव के कारण इस गुब्बारे की हवा निकलना शुरू हो गई है। हताषा का मूल कारण यही है। हताषा ग्रस्त और प्रचार प्रेमी अन्ना टीम यदि संसद को गालियॉ बक रही है तो ऐसा करके वह इस जनाक्रोस की हवा खुद निकाल रही है। जनता के बीच वह अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रही है। सांसदो ने उसकी कडी आलोचना कर दी, यह काफी है। अब संसद द्वारा उन्हे दंडित करना या कोई निंदा प्रस्ताव पारित करना लगभग ऐसा ही है, जैसे कि मच्छर को मारने के लिये आप पिस्तौल चलाएँ।

देश के हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तब्य है कि वह इस भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोष को पथ भ्रष्ट न होने दे । यदि अन्ना टीम विफल हो रही है तो कोई और टीम मैदान मे आये । इसे सच्चा जन आंदोलन बनाए। अब तक यह आंदोलन जिस तर्ज पर चला है, वह जन आंदोलन नही, सरकारी आंदोलन की तर्ज हैं। सरकार ये करे संसद ये करे, अफसर ये करे, इसके अलावा आंदोलन की मांग क्या रही है? यदि यह सच्चा जन आंदोलन होता तो इसकी पहली मांग यह होती कि जनता यह करे, जनता वह करे।

महात्मा गांधी ने शराब और विदेषी वस्त्रो के विरूद्ध आंदोलन चलाया तो पहले जनता से कहा कि वह इन दोनो का बहिष्कार करे। क्या अन्ना टीम ने करोडों लोगों से प्रतिज्ञा करवाई कि वे न तो रिष्वत लेंगे और न देंगे? वे कोई भी अनैतिक और अवैधानिक काम न करेंगे और न होने देंगे? यह कैसे हो सकता है कि आम आदमी तो भ्रष्टाचार करे और नेता शुद्ध बुद्ध महात्मा बन जाऍ? अगर नागरिक डाल डाल है तो नेता तो पात पात होंगे ही। अन्ना आंदोलन के पास नैतिक अस्त्र का अभाव है। वह कानूनी अस्त्र से सिर्फ सरकार को, नेताओं को और अफसरों को सुधारना चाहता है। लोकपाल सिर्फ कानूनी अस्त्र है ष्यह गांधीगीरी नही, बाबूगीरी है।

समीक्षा– अन्ना हजारे के आंदोलन को लेकर प्रारंभ मे कई लोग भ्रम मे थे। आप (वैदिक जी) तथा मै (बजरंग मुनि) दोनो ही भ्रम थे। आप इस आंदोलन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष तक सीमित मानकर उसके साथ सहयोग कर रहे थे और मै उसे भ्रष्टाचार विरोध तक सीमित मानकर उससे दूरी बनाकर रख रहा था। आप भ्रष्टाचार को एक बडी समस्या मानते थे और मै भ्रष्टाचार को संसदीय लोकतंत्र का परिणाम मात्र मानता था। यही कारण है कि ज्योही आंदोलन अन्ना भ्रष्टाचार से हटकर संसद की दिषा मे मुडा त्योही आपने उससे दूरी बना ली और त्योही मैने अपनी दूरी घटा ली।

राजनैतिक दल भी भ्रम मे थे। सुषमा स्वराज्य और शरद यादव मानते थे कि जे पी आंदोलन सरीखे यह आंदोलन भी कांग्रेस विरूद्ध विपक्ष बने और जब उन्हे लगा कि आंदोलन संसदीय लोकतंत्र बनाम सहभागी लोकतंत्र की लाइन पर जा रहा है त्योही सब अपनी असलीयत पर आ गये। आप भूल रहे है कि सुषमा स्वराज्य शरद यादव सरीखे महापूरूषों के रहते हुए भी भारत का औसत चरित्र लगातार गिर रहा है और ऐसे असफल लोगो का आप गुणगान करने मे लगे है। हमने पैसठ वर्षो तक इन महापुरूषो के प्रयत्नो के परिणामो की प्रतीक्षा कर ली। परिणाम हमारे सामने है। चरित्र गिरता जा रहा है। हमारा धैर्य टूट रहा है। हम किसी नये मार्ग की खोज कर रहे है। आप हमे न तो कोई नया मार्ग वता रहे है न ही हमे नया मार्ग खोजने मे मदद कर रहे है। आप चाहते है कि जिस तरह हमने पैसठ वर्ष धैर्य पूर्वक बर्दाष्त किये उसी तरह हम भविष्य मे भी करते रहें। वह बर्दाष्त भी कब तक इसकी भी आपकी सलाह मे भनक नही है। इसका अर्थ यह हुआ जब भी हम कोई नया मार्ग तलाषने लगेंगे तो आप जैसे लोग अनंत काल तक बर्दाष्त करने की सलाह देने के लिये आगे आ जायेंगे। मै आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान संसदीय प्रणाली सफल है या असफल यदि असफल है तो इस विषय मे कुछ नयी खोज की जाय या नही । श

आप जिस आंदोलन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनाक्रोष मान रहे थे वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनाक्रोष न होकर संसदीय लोकतंत्र के विरूद्ध जनाक्रोष था। पहले तो टीम अन्ना को भी भ्रम था कि राजनैतिक दल कुछ न कुछ समझौता अवष्य करेंगे किन्तु जब उनका भ्रम टूटा तो उन्होने लोकपाल की लाइन बदली । आपकी राय है कि उन्हे लाइन नही बदल कर आंदोलन छोड देना चाहिये था। मै अब तक नहीं समझा कि आप उन्हे सलाह दे रहे है या उनकी आलोचना कर रहे है। आपके लेख से तो ऐसा लगता है कि आपकी सलाह की दिषा कुछ भिन्न उद्देष्यो से प्रेरित है। मै अच्छी तरह जानता हूँ कि आप रामदेव जी के आंदोलन के शीर्ष कमांडरो मे से एक हैं। मै न अन्ना जी से जुडा हूँ न रामदेव जी से । मेरा मानना है कि दोनो ही ठीक दिषा मे काम कर रहे है। फिर भी रामदेव जी की लाइन से अन्ना जी की लाइन अधिक अच्छी है । आप रामदेव जी के आंदोलन मे लगे है वह ठीक है । यदि अन्ना जी का आंदोलन मर रहा है तो इससे आपके लिये तो चिन्ता की कोई बात नहीं क्योकि आपका मुद्दा तो भ्रष्टाचार विरोध ही कायम है। यदि रामदेव जी के नेतृत्व मे ही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम सफल हो तो समाज ने कोई अन्ना का ठेका तो ले नही रखा है। मेरे विचार मे आप अनावष्यक इतने परेषान हो रहे है । अन्ना या उनकी टीम परिपक्व नही है तो कोई बात नहीं । आप भी परिपक्व है और बाबा रामदेव भी है। अगस्त मे पता चल जायगा कि आपकी टीम ज्यादा परिपक्व है या टीम अन्ना ।

आपने पेड की डगाल का उदाहरण दिया । यह पता करना आवष्यक है कि टीम अन्ना जिस डगाल को काटने का प्रयास कर रही है, उसी डगाल पर कहीं आप भी तो सवार नही है। यदि आप अपनी चिन्ता से परेषान है तो वह टीम अन्ना की चिन्ता का विषय नही। संसदीय लोकतंत्र सहभागी लोक तंत्र मे बदलेगा अब आप पर निर्भर है कि आप उस डगाल को छोडते है या उस डगाल को कटने से बचाने का प्रयत्न करते है।

आपने टीम अन्ना को सलाह दी है कि वह संसद अथवा सरकार को सलाह देने की अपेक्षा जनता को सलाह दे। आपकी इच्छा है कि कुत्ते गाय की रोटी खाते भी रहे और गुर्राते भी रहे और टीम अन्ना समाज को और अधिक रोटिया बनाने की सलाह देती रहे। मुझे याद है कि पिछले वर्ष गोविन्दाचार्य जी की मीटिंग मे मेरे भाषण के बाद आपने अपनी यही बात दुहराई थी। लम्बे समय तक समाज आप जैसों की ऐसी संत सलाह पर चलता रहा । अब तो हाल यह है कि गाय बेचारी कमजोर हो गई है और कुत्ते झुण्ड बनाकर खा भी रहे है और आपस मे लड कट भी रहे है । अब टीम अन्ना समाज को बताने जा रही है कि आप जैसों की सलाह साठ पैसठ वर्ष तक मानकर परिणाम देख लिया। अब समाज पहले रोटी बनाना बन्द करे । दूसरे कदम के रूप मे कुत्तो को मार भगावे । तीसरे कदम के रूप मे गाय को खडा करे और चौथे कदम के रूप मे रोटी बनाना शुरू करें। यदि इस बीच मे कही आप जैसे लोग गुमराह करे तो न माने।

याद रखिये कि यदि कोई सरकार है , संसद है या प्रंधानमंत्री है वह उन लोगो के लिये नहीं बने है जो अपना काम स्वयं ठीक ठीक करते हैं बल्कि सिर्फ उन लोगो के लिये है जो कानून तोडते है या गलत करते है । ऐसे लोग यदि स्वयं ठीक न रहकर सिर्फ हमे ठीक रहने की सलाह देने तक सीमित है तो हराम का वेतन क्यो ले रहे है। जनता ने उन्हे सलाह और उपदेष के लये वहॉ पावर देकर नही बिठाया है। त्यागपत्र देकर आ जायें जनता के बीच और स्वयं वैसे आचरण करके दिखावे जैसा आप कह रहे है तब आटे दाल का भाव पता चल जायगा। दूसरों के पैसे पर संसद मे बैठकर उपदेष देने की समाज को जरूरत नहीं।

आप एक अच्छे विद्वान लेखक हैं। मेरे बहुत निकट के मित्र है। कलम उठाने के पूर्व विचार करिये कि आप सलाह दे रहे है या आलोचना कर रहे है । अथवा आप कहीं विरोध तो नही कर रहे है । राज्य यदि गलत करे तो उसकी आलोचना होनी चाहिये कयोकि उसकी नीतियॉ भी गलत है और नीयत भीं समाज यदि गलती करे तो उसे सलाह देना चाहिये कयोकि उसकी नीतियां गलत हो सकती है नीयत नहीं । आपने जिस भाषा मे समाज की गल्तियां उजागर की उनमे राज्य व्यवस्था के प्रति नरम विचारो का संदेष जाता है। आपने जिस तरह टीम अन्ना की आलोचना की उससे भी आपकी राज्य के प्रति नरम रूख का संदेष जाता है। प्रत्यक्ष मिलने पर आप से और चर्चा होगी। ष

उत्तरार्ध

शारीरिक बीमारियों का मुख्य कारण शरीर मे वात पित्त कफ का असंतुलन ही माना जाता है। इसी तरह पूरे विष्व की प्रमुख समस्याओ का कारण भी व्यक्ति समाज और राज्य के बीच अधिकारों का असंतुलन ही होता है। बाबा रामदेव जी ने शारीरिक बीमारियों का प्राकृतिक समाधान सहज

सरल तरीके से आपको बताया है। उसी तरह विष्व की अन्य प्रमुख समस्याओ का प्राकृतिक समाधान बताने वाले वर्तमान मे बजरंग मुनि जी आपको सहज उपलब्ध हैं। आप उनसे मिलें, अथवा घर बैठे ज्ञान तत्व पक्षिक पढ़ें । समाधान मे सब कुछ प्राकृतिक उपाय ही बताये जाते हैं। ज्ञान तत्व का मूल्य स्वैच्छिक है। काष इंडिया डाट काम पर भी पढ सकते है तथा ए टू जेड चैनल (डिस एंटिना मे 579 पर) पर शनिवार शाम आठ बजे (संषोधित समय) पर भी सुन सकते है। आप पत्र द्वारा भी प्रष्न कर सकते है जिसका उत्तर ज्ञान तत्व मे जायगा। ज्ञान तत्व प्रकाषित होने मे सौ रूपया वार्षिक का खर्च आता है किन्तु शुल्क स्वैच्छिक है। आप कम भी भेज सकते है और ज्यादा भी। आप यदि सक्षम है और पूरी योजना मे आर्थिक सहायता करना चाहते है तो आप एक हजार रूपया वार्षिक के सहायक सदस्य भी बन सकते है या दस हजार रूपया वार्षिक के ट्रस्टी सदस्य भी। यदि आप और कुछ न भी करे तो दस पाच ज्ञान तत्व के नये पाठको के नाम तो भेज ही सकते है। आपके उत्तर का प्रतीक्षा रहेगी । आप फोन न0–09617079344 पर फोन कर करके भी मुनि जी से चर्चा कर सकते है।

अभ्युदय द्विवेदी